

[2023] 1 एस. सी. आर 677 ए

ए.

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली और ए. एन. आर. बनाम

भागरती और ए. एन. आर.

(2023 की सिविल अपील No.279) 13 जनवरी, 2023

बी.

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013: धारा 24 (2)-भूमि अधिग्रहण, जब समाप्त हो गया माना जाता है-प्रत्यर्थी-मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा लिखित याचिका, यह घोषणा करने की मांग करते हुए कि विषय भूमि से संबंधित अधिग्रहण कार्यवाही को धाराओं को देखते हुए समाप्त माना जाता है। 24(2) - उच्च न्यायालय ने रिट याचिका-स्थिरता-आयोजित करने की अनुमति दी: टिकाऊ नहीं-मूल रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में विचाराधीन भूमि के संबंध में स्वामित्व अभी तक साबित नहीं किया गया था-मूल याचिकाकर्ता अभिलिखित मालिक नहीं था-अभिलिखित मालिक कभी भी मुआवजा प्राप्त करने के लिए आगे नहीं आया और इसलिए, वही अवैतनिक पड़ा था-इस प्रकार, जब तक मूल रिट याचिकाकर्ता का अधिकार और अधिकार साबित नहीं हो जाता, तब तक उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करने में भौतिक रूप से गलती की-साथ ही, पुणे नगर निगम का मामला जिस पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया

सी.

डी.

ई.

इंदौर विकास प्राधिकरण के मामले में खारिज कर दिया गया है

- इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और रद्द कर दिया जाता है।

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य।

एफ.

(2020) 8 एससीसी 129:[2020] 3 एस. सी. आर. 1-अनुसरण किया गया।

पुणे नगर निगम और अन्न. बनाम हरकचंद

मिसरीमल सोलंकी एंड ऑर्स (2014) 3 एस. सी. सी. 183:[2014] 1 एस. सी. आर. 783-संदर्भित।

जी.

मामला कानून संदर्भ

[2020] 3 एससीआर 1

पीछा किया।

पैरा 3

[2014] 1 एससीआर 783

संदर्भित किया गया है

पैरा 2,2

एच.

677

678

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:सिविल अपील No.279

2023.

2015 की सिविल रिट याचिका No.12139 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 29.11.2017 के निर्णय और आदेश से।

सुश्री आस्था त्यागी, दिनेश चंदर त्रेहन, सुश्री दीक्षा नरूला, डी. पी. सिंह यादव, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

बी.

सुश्री मनिका त्रिपाठी, प्रत्यर्थीगणों की अधिवक्ता।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी.

एम. आर. शाह, जे.

1. नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2015 की रिट याचिका (सी) संख्या 12139 में पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने निजी प्रत्यर्थी संख्या 12139 द्वारा प्रस्तुत उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है।¹ इसमें-मूल रिट याचिकाकर्ता और यह घोषित किया है कि विचाराधीन भूमि के संबंध में अधिग्रहण को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (इसके बाद "अधिनियम, 2013" के रूप में संदर्भित) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) के तहत व्यपगत माना जाता है, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

डी.

ई.

2. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश और उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/एल. ए. सी. की ओर से दायर जवाबी हलफनामे से, ऐसा प्रतीत होता है कि यह अपीलार्थी और अन्य मूल प्रत्यर्थीगणों की ओर से विशिष्ट मामला था कि विचाराधीन भूमि के संबंध में निर्णय 19.06.1992 पर घोषित किया गया था और विषय भूमि का वास्तविक खाली भौतिक कब्जा 21.03.2007 पर लिया गया था, जिसमें से मूल रिट याचिकाकर्ता 1/12 वें हिस्से का दावा कर रहा है। अपीलार्थी की ओर से यह भी मामला था कि मौके पर कब्जा कार्यवाही तैयार करने के बाद कब्जा डी. डी. ए. को सौंप दिया गया था। अपीलार्थी/एल. ए. सी. की ओर से यह भी मामला था कि मूल रिट याचिकाकर्ता अभिलिखित मालिक नहीं है और अभिलिखित मालिक कभी भी कोई मुआवजा प्राप्त करने के लिए आगे नहीं आया और इसलिए यह अवैतनिक पड़ा है। उपरोक्त के बावजूद और यह देखने के बाद भी कि विचाराधीन भूमि को इसके बाद इस निर्णय पर भरोसा करते हुए ले लिया गया था

एफ.

जी.

पुणे नगर निगम और अन्न के मामले में न्यायालय। बनाम।

एच.

679

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली और ए. एन. आर. बनाम भागरती और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी और अन्य (2014) 3 एस. सी. सी. 183,

उच्च न्यायालय ने क्षेत्राधिकार की उपयुक्त अदालत में निर्णय लेने के लिए विषय भूमि के स्वामित्व के प्रश्न को खुला रखने में गलती की है, यह घोषणा की है कि विचाराधीन भूमि के संबंध में अधिग्रहण को समाप्त माना जाता है जब मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था।

बी.

2.1 उपरोक्त से, यह प्रतीत होता है कि मूल रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में विचाराधीन भूमि के संबंध में स्वामित्व अभी तक साबित नहीं किया गया था। मूल याचिकाकर्ता अभिलिखित मालिक नहीं था। अभिलिखित मालिक कभी भी मुआवजा प्राप्त करने के लिए आगे नहीं आया और इसलिए वह बिना भुगतान के पड़ा हुआ था। इसलिए, जब तक मूल रिट याचिकाकर्ता का अधिकार और शीर्षक साबित नहीं किया जाता है, तब तक उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करने में भौतिक रूप से गलती की है।

सी.

2.2 अन्यथा भी गुण-दोष के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश टिकाऊ नहीं है। विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय ने इस पर बहुत अधिक भरोसा किया है -

पुणे नगर निगम के मामले में इस न्यायालय का निर्णय और

डी.

आन. (ऊपर), जिसे बाद में इंदौर विकास के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा विशेष रूप से खारिज कर दिया गया है।

प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य **(2020) 8 एस. सी. सी.** में रिपोर्ट किए गए

129. पैराग्राफ **365** और **366** में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया है:-

ई.

“365. परिणामस्वरूप, पुणे नगर निगम में निर्णय दिया गया। [पुणे नगर निगम। व. हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी, (2014) 3 एस. सी. सी. 183] को इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है और अन्य सभी निर्णय जिनमें पुणे नगर निगम शामिल है। [पुणे नगर निगम। बनाम हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी, (2014) 3 एस. सी. सी. 183] का पालन किया गया है, जिन्हें भी खारिज कर दिया गया है। श्री बालाजी नगर आवासीय एसोसिएशन में निर्णय। [श्री बालाजी नगर आवासीय संघ बनाम टी. एन. राज्य, (2015) 3 एस. सी. सी. 353] को अच्छा कानून निर्धारित करने वाला नहीं कहा जा सकता है, इसे खारिज कर दिया जाता है और इसके बाद के अन्य निर्णयों को भी खारिज कर दिया जाता है। इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम शैलेंद्र [(2018) 3 एस. सी. सी. 412] में, धारा 24 (2) के परंतुक के संबंध में पहलू और

क्या "या" को "न" के रूप में पढ़ा जाना है या "और" के रूप में विचार के लिए नहीं रखा गया था। इसलिए, वर्तमान निर्णय में चर्चा के आलोक में वह निर्णय भी प्रबल नहीं हो सकता है।

एफ.

जी.

366. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देते हैं:

एच.

680

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

366.1. धारा 24 (1) (ए) के प्रावधानों के तहत यदि 2013 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के अनुसार पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो कार्यवाही में कोई चूक नहीं होती है। 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुआवजे का निर्धारण किया जाना है।

366.2. यदि न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि को छोड़कर पांच साल की अवधि के भीतर पुरस्कार पारित किया गया है, तो कार्यवाही 1894 अधिनियम के तहत 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) (बी) के तहत प्रदान किए गए अनुसार जारी रहेगी जैसे कि इसे निरस्त नहीं किया गया है।

बी.

366.3. कब्जा और मुआवजे के बीच धारा 24 (2) में उपयोग किए गए शब्द "या" को "न" या "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की मानित समाप्ति तब होती है जब उक्त अधिनियम के शुरू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण, भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है। दूसरे शब्दों में, यदि कब्जा ले लिया गया है, तो मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है तो कोई चूक नहीं है। इसी तरह, अगर मुआवजे का भुगतान किया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई चूक नहीं है।

सी.

डी.

366.4.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के मुख्य भाग में "भुगतान" अभिव्यक्ति में अदालत में मुआवजे की जमा राशि शामिल नहीं है। जमा न करने का परिणाम धारा 24 (2) के परंतुक में प्रदान किया गया है, यदि इसे अधिकांश भूमि स्वामित्व के संबंध में जमा नहीं किया गया है, तो सभी लाभार्थी (भूमि मालिक) 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के तहत दायित्व पूरा नहीं किया गया है, तो उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत ब्याज दिया जा सकता है। क्षतिपूर्ति (अदालत में) जमा न करने के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं होती है। पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकांश जोतों के संबंध में जमा न करने के मामले में, 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख को "भूमि मालिकों" को किया जाना है। 366.5। यदि किसी व्यक्ति को 1894 अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत प्रदान किए गए मुआवजे के लिए निविदा दी गई है, तो उसके लिए यह दावा करने के लिए खुला नहीं है कि अधिग्रहण धारा 4 के तहत समाप्त हो गया है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

681

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली और ए. एन. आर. बनाम भागरती और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

24(2) अदालत में मुआवजे का भुगतान न करने या जमा न करने के कारण। भुगतान करने का दायित्व धारा 31 (1) के तहत राशि का भुगतान करके पूरा किया जाता है। जिन भूमि मालिकों ने मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था या जिन्होंने अधिक मुआवजे के लिए संदर्भ मांगा था, वे यह दावा नहीं कर सकते कि अधिग्रहण की कार्यवाही 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत समाप्त हो गई थी।

बी.

366.6.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के प्रावधान को धारा 24 (2) के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए, न कि धारा 24 (1) (बी) के हिस्से के रूप में। 366.7.1894 के अधिनियम के तहत कब्जा लेने का तरीका और जैसा कि धारा 24 (2) के तहत विचार किया गया है, शव का पंचनामा रिपोर्ट/ज्ञापन तैयार करना है। एक बार जब 1894 के अधिनियम

की धारा 16 के तहत कब्जा लेने पर अधिनिर्णय पारित हो जाता है, तो राज्य में निहित भूमि को 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत विनिवेश का प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक बार कब्जा लेने के बाद धारा 24 (2) के तहत कोई चूक नहीं होती है।

सी.

डी.

366.8. धारा 24 (2) के प्रावधान उस स्थिति में लागू होते हैं जब अधिकारी 2013 के अधिनियम के लागू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक कब्जा करने और मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहे हों। अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के निर्वाह की अवधि को पाँच साल की गणना में बाहर रखा जाना चाहिए।

ई.

366.9. 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) भूमि अधिग्रहण की समाप्त कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने के लिए कार्रवाई के नए कारण को जन्म नहीं देती है। धारा 24 2013 अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि पर लंबित कार्यवाही पर लागू होती है अर्थात् 1-1-2014। यह पुराने और समय-बाधित दावों को पुनर्जीवित नहीं करता है और न ही समाप्त कार्यवाही को फिर से खोलता है और न ही भूमि मालिकों को अधिग्रहण को अमान्य करने के लिए अदालत के बजाय राजकोष में कार्यवाही या मुआवजे के जमा करने के तरीके को फिर से खोलने के लिए कब्जा लेने के तरीके की वैधता पर सवाल उठाने की अनुमति देता है।”

एफ.

जी.

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और इसके द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर) के मामले में न्यायालय

उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश रद्द किए जाने और खारिज किए जाने के योग्य हैं।

एच.

682

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारण के लिए वर्तमान अपील की अनुमति है। यह घोषणा करते हुए कि विचाराधीन भूमि के संबंध में अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत व्यपगत माना जाता है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को निरस्त कर दिया जाता है।

बी.

तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है। कोई लागत नहीं।

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: अभिषेक प्रताप सिंह और शाश्वत जैन, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.